भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1594
31 जुलाई, 2026 को जवाब दिया

पीएम मित्र पार्क योजना के अंतर्गत निवेश और रोजगार सृजन

1594. श्रीमती माया नारोलियाः
श्री शंभू शरण पटेलः
श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े:
श्रीमती सीमा द्विवेदी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) पार्कों के लिए निवेश और रोजगार सृजन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) प्रत्येक पार्क में विकसित की जा रही अवसंरचना तथा उपलब्ध कराई जा रही साझा (कॉमन) सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन पाकों में निवेश करने के लिए वैश्विक वस्त्र एवं परिधान निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क): सरकार ने वर्ष 2027-28 तक कुल 4,445 करोड़ रु. के योजना परिव्यय से तमिलनाडु के विरुधनगर, तेलंगाना के वारंगल, गुजरात के नवसारी, कर्नाटक के कलबुर्गी, मध्य प्रदेश के धार, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और महाराष्ट्र के अमरावती में सात पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क बनाने को मंज़ूरी दी है। प्रत्येक पार्क में लगभग 10,000 करोड़ रु. का निवेश आकर्षित होने और लगभग तीन लाख रोज़गार के अवसर सृजित होने की परिकल्पना है, जिनमें एक लाख प्रत्यक्ष और दो लाख अप्रत्यक्ष रोज़गार शामिल होंगे। कुल मिलाकर, इस योजना का उद्देश्य लगभग 70,000 करोड़ रु. का निवेश आकर्षित करना और करीब 20 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर सृजित करना है।

(ख): इन पार्कों को एकीकृत वस्त्र विनिर्माण हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिनमें कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, डाइंग और प्रिंटिंग, गारमेंट विनिर्माण, सहायक उपकरण और तकनीकी वस्त्र सहित संपूर्ण मूल्य श्रृंखला शामिल होगी। सामान्य अवसंरचना में विकसित फैक्ट्री साइट्स, प्लग-एंड-प्ले सुविधाएँ, भीतरी सड़कें,

विद्युत संवितरण, सुनिश्चित जल आपूर्ति, वेस्टवॉटर ट्रीटमेंट सिस्टम, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सामान्य प्रसंस्करण सुविधाएँ, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक्स सुविधाएँ, इनक्यूबेशन केंद्र, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास सुविधाएँ, कामगार हॉस्टल और आवास, और स्वास्थ्य व अन्य सामाजिक अवसंरचना शामिल हैं।

(ग) और (घ): वैश्विक वस्त्र और परिधान विनिर्माताओं को आकर्षित करने के लिए, भारत सरकार की ओर से क्रमश: ग्रीनफील्ड पीएम एम मित्र पार्क के लिए अधिकतम 500 करोड़ रु. और ब्राउनफील्ड पीएम मित्र पार्क के लिए अधिकतम 200 करोड़ की सहायता के साथ परियोजना लागत की 30% विकास पूंजीगत सहायता' (डीसीएस) का प्रावधान है। डीसीएस मुख्य अवसंरचना बनाने के लिए दी जाने वाली सहायता है। साथ ही, पीएम मित्र में विनिर्माण इकाइयों को जल्दी स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, प्रत्येक पार्क हेतु 300 करोड़ रुपए की प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता (सीआईएस) देने का प्रावधान है जिसमें विनिर्माण इकाइयों को 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर कुल बिक्री कारोबार का 3% तक प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

इसके अलावा, राज्यों, निवेशकों, टेक्सटाइल एसोसिएशनों, संभावित डेवलपर्स और अन्य हितधारकों के साथ अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर 200 से ज़्यादा विचार-विमर्श आयोजित किए गए हैं। इंवैस्टर आउटरीच, राज्य-स्तर पर निवेश संवर्धन, रोडशो और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय टेक्सटाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क किए जा रहे हैं। उपलब्ध अद्यतन जानकारी के अनुसार, सातों पार्कों में लगभग 69,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश अभिरूचि प्राप्त हुई है।
